Jo code n0-2409
CNR**UPFR010045352020**

State Vs. Ajay Kumar

UPFR010045352020

Sessions Case/1006/2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) फर्रूखाबाद।

उपस्थित –श्रीमती रेखा शर्मा ....एच०जे०एस०

विशेष वाद संख्या– 1006/2020

उत्तर प्रदेश सरकार

बनाम

अजय कुमार पुत्र स्व० राम आसरे निवासी– अपर दुर्ग कालोनी, फतेहगढ़, थाना–कोतवाली फतेहगढ़, जनपद– फर्रूखाबाद।

अपराध संख्या–21/2020
धारा– 135 भारतीय विद्युत अधि०
थाना– कोतवाली फतेहगढ़,
जनपद – फर्रूखाबाद

12.12.2020

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से 11B इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमें के संबंध में शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क बिजली विभाग में दिनांक 12.06.2020 को जमा कर दिया गया था। परन्तु पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त मुकदमे के संबंध में विद्युत विभाग से आख्या तलब कर राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में लगाकर निर्णीत किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः विद्युत विभाग से आख्या तलब कर राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में लगाकर निर्णीत करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र 14A/1 पर अधिशाषी अभियन्ता श्री संदीप कुमार द्वारा इस आशय की आख्या दी गयी है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क–2,000/– एवं राजस्व निर्धारण 17038/–, रसीद संख्या–513589602378, दिनांक–20.03.2020 को

Jo code n0-2409
CNR**UPFR010045352020**

State Vs. Ajay Kumar

विभाग में जमा कर दी गयी है। उपरोक्त वाद से संबंधित कोई भी धनराशि विभाग का अवशेष नहीं है। वाद समाप्त करने का अनुरोध है। उक्त आख्या प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता जितेन्द्र सिंह द्वारा सत्यापित करते हुए वाद को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर कोई भी धनराशि शेष नहीं है। अपराध शमनीय होने के कारण शमन किये जाने योग्य है। अतः इस प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अजय कुमार को विशेष वाद संख्या–1006/2020 मु०अ०सं०–21/2020, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–कोतवाली फतेहगढ़ जनपद– फर्रूखाबाद के अपराध से उन्मोचित किया जाता है।

अभिलेख दाखिल दफ्तर हो।

(रेखा शर्मा)
दिनांक– 12.12.2020 विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4,फर्रूखाबाद।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा शर्मा)
दिनांक– 12.12.2020 विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4,फर्रूखाबाद।

Digitally signed by Rekha Sharma
Date: 2020.12.12 13:03:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court